रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 1975/श्रावण 13 1897

No. 219] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 1975/SRAVANA 13, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 4th August 1975

G.S.R. 437(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Eleventh Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 2,—

(a) in clause (ii)(A)—

(i) for sub-clause (f), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(f) in the districts of Calcutta, 24-Pargana, Howrah and Midnapur of the State of West Bengal and in the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands, the Collector of Central Excise, Calcutta;";

(ii) after sub-clause (x), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(y) in the State of Orissa, the Collector of Central Excise, Bhubneshwar.";

(b) in clause (iia), for sub-clauses (b) and (c), the following sub-clauses shall respectively be substituted, namely :—

"(b) in relation to an order or decision of an officer of Central Excise subordinate to the Collector of Central Excise, Delhi; Collector of Central Excise, Jaipur; Collector of Central Excise, Chandigarh; Collector of Central Excise, Allahabad; Collector of Central Excise, Kanpur and in relation to an order or decision of an officer of Central Excise posted in the State of Madhya Pradesh and subordinate to the Collector of Central Excise, Nagpur, the Appellate Collector of Central Excise, Delhi;

(c) in relation to an order or decision of an officer of Central Excise subordinate to the Collector of Central Excise, Calcutta; Collector of Central Excise, West Bengal, Calcutta; Collector of Central Excise, Bhubneshwar; Collector of Central Excise, Shillong and Collector of Central Excise, Patna, the Appellate Collector of Central Excise, Calcutta;".

[No. 174/75]

S. D. MOHILE, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1975

सा० का० नि० 437(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1975 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 2 में:—

(क) खण्ड (ii) (क) में—

(i) उपखण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जायगा, अर्थात् :—

"(च) पश्चिमी बंगाल राज्य के कलकत्ता, चौबीस परगना, हावड़ा और मिदनापुर जिलों में तथा अन्दमान और निकोबार द्वीप के संघ राज्य क्षेत्र में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, कलक्टर, कलकत्ता ;

(ii) उपखंड (म) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(म) उड़ीसा राज्य में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, भुवनेश्वर । ;

(ख) खण्ड (iiक) में, उपखंड (ख) और (ग) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, दिल्ली; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, जयपुर; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, कलक्टर, चण्डीगढ़; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, कलक्टर

इलाहाबाद: केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, कानपुर के अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के किसी आदेश या विनिश्चय के संबंध में और मध्य प्रदेश में नियुक्त तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, नागपुर के अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के किसी आदेश या विनिश्चय के संबंध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अपीली कलक्टर, दिल्ली ;

(ग) उत्पाद-शुल्क कलक्टर, कलकत्ता; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर भवनेश्वर; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर शिलांग और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, पटना के अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के किसी आदेश या विनिश्चय के संबंध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, अपीली कलक्टर, कलकत्ता;

[सं० 174/75]

[illegible] सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975